साधु सिंह बनाम देवी दयाल कोहली, सरकारिया (नयायाधिपती)

अपीलीय अपराधी

आर.एस. सरकारिया और एस.सी.मितल, नयायाधिपती के सामने

साधु सिंह.-अपीलकर्ता

बनाम

देवी दयाल कोहली, प्रतिवादी।

1968 की आपराधिक अपील संख्या 772।

11 नवंबर 1971

दंड प्रक्रिया संहिता (1898 का अधिनियम 5) - धारा 417(3), 494 और 495 - मृत शिकायतकर्ता के हित में उत्तराधिकारी को धारा 495 के तहत अभियोजन चलाने की अनुमति दी गई - शिकायत खारिज कर दी गई और आरोपी को बरी कर दिया गया - ऐसे बरी किए जाने के खिलाफ अपील - क्या ऐसे उत्तराधिकारी-आपराधिक अपील द्वारा कायम रखा जा

निर्धारित गया कि दोषमुक्ति के आदेश के खिलाफ अपील करने का अधिकार मुख्य रूप से राज्य सरकार को दिया गया है और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 417 की उपधारा (3) एक अपवाद की प्रकृति में है। उस उपधारा में आने वाले 'शिकायतकर्ता' शब्द की व्याख्या उस व्यक्ति के प्रतिबंधित अर्थ में की जानी चाहिए जिसकी शिकायत पर ट्रायल कोर्ट में मामला शुरू किया गया था। शिकायतकर्ता के हित में उत्तराधिकारी, भले ही उसे आचार संहिता की धारा 495 के तहत शिकायतकर्ता की मृत्यु के बाद अभियोजन की अनुमति दी गई हो, जिसकी शिकायत पर मजिस्ट्रेट मामले का संज्ञान लेता है, कानून के संचालन से शिकायतकर्ता नहीं बन जाता है। संहिता में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो संहिता की धारा 417(3) के तहत अपील दायर करने के उद्देश्य से मृत शिकायतकर्ता के उत्तराधिकारी को मूल शिकायतकर्ता का दर्जा देता हो।

(पैरा 5 और 6)

निर्धारित किया गया कि संहिता की धारा 494 स्पष्ट रूप से बताती है कि ट्रायल कोर्ट द्वारा "फैसला सुनाए जाने से पहले" अदालत की सहमति से लोक अभियोजक द्वारा मामला वापस लिया जा सकता है। ये शब्द उस चरम सीमा का प्रावधान करते हैं जहां तक ट्रायल कोर्ट के समक्ष लंबित मामले को वापस लिया जा सकता है। इन्हें किसी अपील को कवर करने के लिए विस्तारित नहीं किया जा सकता है जो कि सुनवाई के बाद का मामला है। इसलिए संहिता की धारा 494 के तहत, आपराधिक अपील वापस नहीं ली जा सकती।

(पैरा 3)

श्री के.के. तनेजा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, अंबाला के दिनांक 12 मार्च, 1968 के प्रतिवादी को बरी करने के आदेश के विरुद्ध अपील।

सी.आर.एम. 1710/71.

देवी दयाल कोहली की ओर से आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 561-ए के तहत आवेदन, प्रतिवादी ने प्रार्थना की कि पार्टियों में समझौता हो गया है और आपराधिक अपील संख्या 772/68 खारिज कर दी गई है।

निमो, अपीलकर्ता के लिए।

प्रतिवादी की ओर से दिल्ली के वकील आर.एल. कोहली, वकील आर.एन. नरूला और उनके साथ वकील जे.एस.चावला।

जजमेंट

इस न्यायालय का निर्णय सुनाया गया:-

सरकारिया, नयायाधिपती.—(1) इस आदेश से संबंधित भौतिक तथ्य इस प्रकार हैं:—

अंबाला शहर के बख्शी सिंह के बेटे अमर सिंह ने देवी दयाल कोहली के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 406/379/509 के तहत अपराध करने का आरोप लगाते हुए शिकायत की। मुकदमे के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, अंबाला ने 12 मार्च, 1968 को एक फैसले में आरोपी को बरी कर दिया, ट्रायल कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान अमर सिंह की मृत्यु हो गई और उसके बाद ऐसा लगता है कि कार्यवाही उनके बेटे , साधु सिंह, द्वारा जारी रखी गई थी। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि उन्हें मृतक के स्थान पर अभियोजन का संचालन जारी रखने के लिए आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 495 के तहत आवश्यक अनुमति दी गई थी या नहीं।

(2) शिकायतकर्ता के बेटे, साधु सिंह ने धारा 417(3), आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत विशेष अनुमति प्राप्त करने के बाद, बरी करने के उपरोक्त आदेश के खिलाफ यह अपील दायर की है।

(3) धारा 561-ए, आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत एक आवेदन किया गया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ कहा गया है कि पार्टियों ने मामले में समझौता कर लिया है, और परिणामस्वरूप, अपीलकर्ता को अपील वापस लेने की अनुमति दी जानी चाहिए। यह अच्छी तरह से स्थापित है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 494 का विस्तार अपील वापस लेने तक नहीं है। वह धारा स्पष्ट रूप से बताती है कि ट्रायल कोर्ट द्वारा "फैसला सुनाए जाने से पहले" अदालत की सहमति से लोक अभियोजक द्वारा मामला वापस लिया जा सकता है। धारा 494 में आने वाले शब्द "फैसला सुनाए जाने से पहले अन्य मामलों में" उस चरम सीमा का प्रावधान करते हैं, जिस तक ट्रायल कोर्ट के समक्ष लंबित मामले को वापस लिया जा सकता है। इन्हें किसी अपील को कवर करने के लिए विस्तारित नहीं किया जा सकता है जो कि सुनवाई के बाद का मामला है। इस प्रकार, भले ही यह तर्क के लिए मान लिया जाए कि साधु सिंह को ट्रायल कोर्ट में अपने पिता की मृत्यु के बाद मुकदमा जारी रखने के लिए धारा 495, आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत विधिवत अधिकृत किया गया था, वह मुकदमा वापस लेने में सक्षम नहीं होगा यह अपील धारा 494 के तहत या संहिता के किसी अन्य प्रावधान के तहत। अत: यह अनुरोध अस्वीकार किया जाता है।

(4) हालांकि, प्रतिवादी के विद्वान वकील का अगला तर्क यह है कि साधु सिंह आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 417(3) के तहत यह अपील दायर करने में सक्षम नहीं थे, क्योंकि वह शिकायतकर्ता नहीं थे। यह माना जाता है कि यह आपत्ति केवल एक रूप की नहीं है, बल्कि 'मामले की जड़ तक जाने वाली है।' शिकायतकर्ता के हित में उत्तराधिकारी - तर्क को आगे बढ़ाता है - भले ही उसे संहिता की धारा 495 के तहत ट्रायल कोर्ट में अभियोजन चलाने की अनुमति दी गई हो, वह दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 417(3) के प्रयोजनों के लिए "शिकायतकर्ता" नहीं बनता है। इस तर्क के ***लिए मोनमाथनाथ बनाम निरंजन मोडल और अन्य[1] और निनिलाल सामंत बनाम राबिन घोष[2]*** पर भरोसा किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि इस विवाद में काफ़ी दम है।

(5) मामला 'शिकायतकर्ता' शब्द की व्याख्या पर आधारित है जैसा कि धारा 417(3), आपराधिक प्रक्रिया संहिता में उपयोग किया गया है। इस शब्द को संहिता में परिभाषित नहीं किया गया है। हालाँकि, संहिता की धारा 4(1)(एच) 'शिकायत' को इस प्रकार परिभाषित करती है: -

" 'शिकायत' का अर्थ इस संहिता के तहत मजिस्ट्रेट से कार्रवाई करने की दृष्टि से मौखिक या लिखित रूप से लगाया गया आरोप है कि किसी व्यक्ति ने, चाहे वह ज्ञात हो या अज्ञात, अपराध किया है, लेकिन इसमें पुलिस की रिपोर्ट शामिल नहीं है -अधिकारी।"

[1] A.I.R. 1967 Cal. 442.
[2] A.I.R. 1964 Cal. 64

उपरोक्त परिभाषा से यह पता चलता है कि "शिकायतकर्ता" वह व्यक्ति होगा जो शिकायत दर्ज कराता है। धारा 417 (3) में प्रावधान है कि यदि किसी शिकायत पर शुरू किए गए किसी मामले में बरी करने का आदेश पारित किया जाता है और उच्च न्यायालय, शिकायतकर्ता द्वारा इस संबंध में किए गए आवेदन पर, अपील करने के लिए विशेष अनुमति देता है। दोषमुक्ति के आदेश के बाद, शिकायतकर्ता ऐसी अपील उच्च न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह मामला अमर सिंह की शिकायत पर स्थापित किया गया था। एकमात्र सवाल यह है कि क्या उनकी मृत्यु के बाद, उनके बेटे, साधु सिंह - भले ही उन्हें अभियोजन जारी रखने के लिए संहिता की धारा 495 के तहत अनुमति दी गई हो - को भी धारा 417 का उप-धारा (3) के चिंतन के तहत 'शिकायतकर्ता' माना जा सकता है। । हमारे निर्णय में, इस प्रश्न का उत्तर नकारात्मक होना चाहिए। 'शिकायत' शब्द की परिभाषा से यह पता चलता है कि शिकायतकर्ता वह है जो किसी अपराध के घटित होने के संबंध में कुछ आरोप लगाकर, उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मजिस्ट्रियल कोर्ट की मशीनरी को गति प्रदान करता है। साधु सिंह ने स्वीकार किया कि वह वह व्यक्ति नहीं था, जिसने मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष शिकायत पेश करके याचिका दायर की थी। साधु सिंह बहुत बाद में सामने आए। इसलिए, धारा 417(3) के प्रयोजनों के लिए उसे 'शिकायतकर्ता' नहीं माना जा सकता।

(6) इस कानून का इतिहास आगे दिखाता है कि धारा 417 की उप-धारा (3) के प्रयोजनों के लिए 'शिकायतकर्ता' शब्द पर एक निर्माण किया जाना है। धारा 407, 1861 की आपराधिक प्रक्रिया संहिता, स्पष्ट रूप से अपील को प्रतिबंधित करती है किसी भी आपराधिक न्यायालय के दोषमुक्ति के निर्णय और दोषमुक्ति का आदेश अंतिम और निर्णायक होता था। सार्वजनिक सुरक्षा, शांति और व्यवस्था के हित में, बरी करने के आदेश के खिलाफ अपील के असाधारण उपाय को 1872 में पहली बार वैधानिक मान्यता प्राप्त हुई। फिर भी, किसी बरी किए जाने के खिलाफ अधिकार को कई सुरक्षा उपायों द्वारा रोका गया है, विचार यह है कि एक बार नियमित मुकदमे के बाद बरी किए गए व्यक्ति को उसी आरोप के संबंध में दोबारा हल्के से परेशान नहीं किया जाना चाहिए। ऐसे सुरक्षा उपायों में से एक यह है कि बरी किए गए व्यक्ति को उस अपराध के लिए आगे की सुनवाई से गुजरना होगा जिसके लिए उसे बरी कर दिया गया है, सर्वोच्च कार्यकारी प्राधिकारी को अपना दिमाग लगाना चाहिए और मानना चाहिए कि यह वांछनीय है, और सर्वोच्च कानूनी प्राधिकारी (सार्वजनिक अभियोजक) को सलाह देनी चाहिए यह कानूनी और उचित है और सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकरण (उच्च न्यायालय) को यह पता लगाना चाहिए कि आदेश को रद्द कर दिया जाना चाहिए। दंड प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम, 1955 से पहले, केवल राज्य सरकार धारा 417 के तहत बरी करने के आदेश के खिलाफ अपील करने की हकदार थी। बरी करने के आदेश को रद्द करने के

मामले में शिकायतकर्ता द्वारा आवेदन या अपील नहीं की जा सकती थी। राज्य सरकार को बरी करने के फैसले के खिलाफ अपील के अधिकार को प्रतिबंधित करने का उद्देश्य व्यस्त निकायों या निजी शिकायतकर्ताओं द्वारा निजी द्वेष या व्यक्तिगत प्रतिशोध की संतुष्टि के लिए अपील की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकना और हस्तक्षेप सुनिश्चित करना था। दोषमुक्ति तभी होती है, जब इसके परिणामस्वरूप न्याय का गर्भपात होता है। पहली बार 1955 के संशोधन अधिनियम की धारा 3 ने एक शिकायतकर्ता को, जिसकी शिकायत पर ट्रायल कोर्ट में मामला शुरू किया गया था, बरी किए जाने के खिलाफ अपील करने के लिए उच्च न्यायालय से विशेष अनुमति प्राप्त करने का अधिकार दिया। इस प्रकार यह देखा जाएगा कि इस संशोधन के बाद भी शिकायतकर्ता को बरी किए जाने के आदेश के खिलाफ अपील दायर करने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसा करने के लिए उसे उच्च न्यायालय की विशेष अनुमति लेनी होगी। संक्षेप में, दोषमुक्ति के आदेश के खिलाफ अपील करने का अधिकार मुख्य रूप से राज्य सरकार को दिया गया है। धारा 417 की उपधारा (3) उस सामान्य नियम के अपवाद की प्रकृति में है। इसलिए, उस उपधारा में 'शिकायतकर्ता' शब्द की व्याख्या सीमित अर्थ में की जानी चाहिए, अर्थात वह व्यक्ति जिसकी शिकायत पर ट्रायल कोर्ट में मामला शुरू किया गया था। मौजूदा मामले में साधु सिंह के पिता अमर सिंह ही थे, जिन्होंने भारतीय दंड संहिता की धारा 406/379/509 के तहत अपराध करने के संबंध में लिखित में कुछ आरोप लगाकर आपराधिक कानून की मशीनरी को गति दी थी , और आगे प्रार्थना की थी कि उन अपराधों को करने के लिए आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। भले ही यह मान लिया जाए कि अमर सिंह की मृत्यु के बाद अभियोजन चलाने के लिए उन्हें आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 495 के तहत अनुमति दी गई थी, साधु सिंह केवल साधारण कारण से शिकायतकर्ता नहीं बने, जिसके आधार पर शिकायत की गई थी। मजिस्ट्रेट ने मामले का संज्ञान लिया था, उनके द्वारा ऐसा नहीं किया गया था। हमारी राय में, शिकायतकर्ता का उत्तराधिकारी कानून के क्रियान्वयन से शिकायतकर्ता नहीं बन जाता है। दंड प्रक्रिया संहिता में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो संहिता की धारा 417(3) के तहत विशेष अनुमति के बाद अपील दायर करने के उद्देश्य से मृत शिकायतकर्ता के उत्तराधिकारी को मूल शिकायतकर्ता का दर्जा दे। हमने जो दृष्टिकोण अपनाया है उसमें हम ***मोनमाथनाथ बनाम निरंजन मोडल और अन्य (1) (सुप्रा)*** मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय के एकल पीठ के फैसले से मजबूत हुए हैं।

(7) उपरोक्त कारणों से, वेइलइंडिया का मानना है कि साधु का शिकायतकर्ता नहीं होना इस अपील को बनाए रखने में अक्षम था और हम इसे खारिज करते हैं।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

सृष्टि
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
(Trainee Judicial Officer)
कुरूक्षेत्र, हरियाणा